प्र.पी.-243

D-239

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
"हितवाद परिसर" अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक/परिवहन/2014-15/ 1138 रायपुर, दिनांक 10/3/15

प्रति,

निरीक्षक,
राज्य आर्थिक अपराधिक अन्वेषण ब्यूरो
रायपुर (छ.ग.)

विषयः– ब्यूरो के अपराध क्रमांक 09/2015 धारा 13 (2) सहपठित धारा 13 (1) (डी) भष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 120 बी, 109 भा.द.वि. के संबंध में।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक – ई.ओ.डब्ल्यू/क्यू. 2 दिनांक 27.02.2015।

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेगे, जिसमें वर्ष 2012–13, 2013–14 एंव 2014–15 शक्कर फैक्ट्री बालोद, कवर्धा एवं सूरजपुर (केरता) से शक्कर का परिवहन किया गया, परंतु निविदा नही की गई, के संबंध में जानकारी चाही गई हैं।

तत्संबंध में जानकारी निम्नानुसार हैः–

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या इस प्रकार के अत्यधिक मात्रा में परिवहन के लिए टेण्डर स्वीकृत कराया जाना आवश्यक था कि नही ? यदि ऐसा आवश्यक था, तो निविदा आमंत्रण सूचना क्यों नही जारी की गई।	(अ) इस संबंध में लेख हैं, कि प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न, शक्कर, नमक, तिलहन, दाल, बारदाना, खाद्यान्न तेल इत्यादि परिवहन के लिए एक साथ एलआरटी निविदा आमंत्रित कराई जाती हैं। इससे संबंधी उद्बोधन की प्रति संलग्न हैं, जिसमें ***शक्कर कारखाना*** से परिवहन कार्य का उल्लेख हैं। (परिशिष्ट 01) (ब) वर्ष 2013 मे प्रकिया के तहत खाद्यान्न, नमक, शक्कर, दलहन, तिलहन, बारदाना, खाद्यान्न तेल के लीडवाईज दरें स्वीकृत रही, इसलिए पृथक से निविदा आमंत्रित करने की आवश्यकता नही रही। उक्त दरों की तात्कालिक प्रबंध संचालक द्वारा स्वीकृति दी गई थी, ततपश्चात् दिनांक 05.06.2013 जिला प्रबंधकों की बैठक में सार्वजनिक रूप से जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया कि शक्कर फैक्ट्री से जिले के एलआरटी दर अनुसार ही शक्कर का परिवहन कराऐगे, दिनांक 05.06.2013 को जारी निर्देशों की प्रतिलिपी यंहा संलग्न हैं। (परिशिष्ट 02) (स) इसके अतिरिक्त परिवहन निविदा की परिशिष्ट 01 की कंडिका **1.11 में यह स्पष्ट रूप से यह प्रावधान हैं, कि जिस बेस डिपो/केन्द्र की परिवहन दरें स्वीकृत नही हुआ हो परंतु परिवहन कार्य कराया जाना हों तो जिले के निकटतम केन्द्र जिनकी परिवहन दरें स्वीकृत हैं, की दर पर परिवहनकर्ता से** कार्य कराया जा सकता हैं। (परिशिष्ट 03)

—2—

D:\08.03.2011\transport letter 4.doc1046

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी.

<table>
<tr><td>2.</td><td>इन वर्षो में उपरोक्त वर्णित शुगर के बेस डिपो शक्कर फैक्ट्री से जिलो के गोदामों में परिवहन के लिए वर्षवार कितना भुगतान किया गया था ?</td><td>
जिला – कवर्धा

वर्ष	मात्रा (टन में)	राशि
2012–13	2294.40	1340699.00
2013–14	20350.00	19721998.00
2014–15	26813.20	24372644.00

जिला – सूरजपुर

वर्ष	मात्रा (टन में)	राशि
2012–13	निरंक	निरंक
2013–14	13000.00	13010497.00
2014–15	13220.00	15542989.20

जिला – बालोद

वर्ष	मात्रा (टन में)	राशि
2012–13	520.70	258831.12
2013–14	7089.00	6363269.00
2014–15	6141.50	2715161.05
</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>विवेचना में यह पाया गया हैं, कि वर्ष 2013–14 में केरता सूरजपुर शक्कर फैक्ट्री से परिवहन के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। यह विरोधाभास क्यो हैं ?</td><td>मुख्यालयीन पत्र कमांक 194 दिनांक 17.05.2013 (परिशिष्ट 04) के द्वारा केरता सूरजपुर शक्कर फैक्ट्री से सूरजपुर की स्वीकृत दर पर प्रबंध संचालक से चर्चा कर कार्य कराने हेतु लिखा गया था, जिसकी प्रतिलिपी प्रबंध संचालक को पृष्ठांकित किया गया रहा, परंतु जिला प्रबंधक सूरजपुर के पत्र कमांक 306 दिनांक 06.06.2013 (परिशिष्ट 05) के अनुसार सूरजपुर के अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा कार्य करने की सहमति नही दी गई अतः केरता शक्कर फैक्ट्री सूरजपुर हेतु वर्ष 2013–14 एंव 2014–15 में निविदा आमंत्रित कर परिवहन कार्य कराया गया। शेष फैक्ट्री में इस प्रकार का विवाद नही आया।</td></tr>
</table>

संलग्नः–

1. निविदा उद्बोधन की छायाप्रति। ✓
2. दिनांक 05.06.2013 के बैठक में स्वीकृत एलआरटी से कार्य कराने निर्देश। ✓
3. परिशिष्ट 01 की कंडिका 1.11। ✓
4. पत्र कमांक 194 दिनांक 17.05.2013। ✓
5. पत्र कमांक 306 दिनांक 06.06.2013। ✓

महाप्रबंधक

कमांक/परिवहन/2014–15/1138(A) रायपुर, दिनांक 10.3.15

प्रतिलिपिः–

निज सहायक, प्रबंध संचालक मुख्यालय – रायपुर की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक

D:\08.03.2011\transport letter 4.doc1047

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक

प्र.पी.-243-ए

(निविदा - दस्तावेज)

परिशिष्ट 1

उदबोधन

प्रिय निविदाकार,

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के लिए तथा उसकी ओर से प्रबंध संचालक द्वारा मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों (आवश्यकतानुसार प्रदेश के बाहर से भी) में स्थित बेस डिपो, संग्रहण केन्द्रों शक्कर कारखानों से सड़क द्वारा विभिन्न वितरण केन्द्रों एवं स्थानों तक खाद्यान्न / शक्कर / नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना / खाद्य तेल आदि के लिए लंबी दूरी के परिवहन कार्य (एल.आर.टी.) के लिए परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2013–2014 (अर्थात 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 तक) के लिए निविदायें आमंत्रित की जाती है।

2. उल्लेखनीय है, कि यह कार्पोरेशन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध होकर छत्तीसगढ़ शासन के उपक्रम के रूप में वर्ष 2001 से कार्यरत है। कार्पोरेशन द्वारा मुख्यतः जन उपयोगी कार्य किए जा रहे है, जिनमें खाद्यान्न / शक्कर / नमक / दलहन / तिलहन / बारदाना आदि की खरीदी / वितरण / विक्रय सम्मिलित है।

3. इस निविदा दस्तावेज में संलग्न **परिशिष्ट–एक** में निविदा के निर्देश और मार्गदर्शक सूचनायें, परिशिष्ट–दो में संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें तथा **परिशिष्ट–तीन (अ)** में छत्तीसगढ़ स्थित निगम के बेस डिपो / संग्रहण केन्द्रों, भारतीय खाद्य निगम के अतिरिक्त अन्य क्रय व भंडारण केन्द्रों और उससे संबद्ध वितरण / जमा केन्द्रों का विवरण दिया गया है। **कार्य के हिसाब से परिवहन** कार्य हेतु बेस डिपो को **तीन श्रेणी (ए,बी,सी,) में विभाजित किया गया है।** इनके अतिरिक्त भी कार्पोरेशन की आवश्यकतानुसार अन्य किसी स्थान / वितरण केन्द्र, छत्तीसगढ़ के बाहर से भी परिवहन लीड के अन्तर्गत स्वीकृत दर पर परिवहन का कार्य कराया जा सकेगा, इसके ठीक उल्टा (वाईस वर्सा) भी कार्य हो सकता है, जिसके लिए निविदाकार बाधित रहेंगे। **निविदाकार से अनुरोध है, कि कृपया इन दस्तावेजों को भली भांति पढ़ने और समझने के बाद ही अपनी प्रतिस्पर्धात्मक दरें (कार्य योग्य दरें) भारतीय खाद्य निगम / सी.डब्लू.सी. एवं निगम गोदाम (एस.डब्लू.सी.) के स्कंध से संबंधित परिवहन कार्य हेतु निविदा फार्म के निर्धारित परिशिष्ट–चार (अ) एवं चार (ब) में साफ–साफ शब्दों व अंकों में अंकित करें।**

4. निविदाकार से यह भी अनुरोध है, कि निविदा फार्म के प्रत्येक पृष्ठ पर इसके लिए नियत स्थान पर सील सहित हस्ताक्षर करें। निविदा सूचना के प्रकाशन अनुसार भरे हुए निविदा फार्म संबंधित बेस डिपो के जिला कार्यालय में अथवा निविदा सूचना में प्रकाशित स्थान में दर्शाई गई तारीख तक में निर्धारित समय तक स्वीकार किए जायेंगे। प्राप्त निविदायें उसी दिन निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकारों के समक्ष उपरोक्तानुसार खोली जायेंगी। निविदायें खोलने के समय निविदाकार स्वयं या उसका प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर उपस्थित हो सकेगा। किसी भी दशा में डाक द्वारा प्रेषित निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

5. इस उदबोधन सहित, निविदा आमंत्रण, निविदा निर्देश व मार्ग दर्शक सूचनायें, संविदा को शासित करने वाले नियम व शर्तें, निविदा दस्तावेज एवं उनमें संलग्न सभी पृष्ठ एवं परिशिष्ट आदि इस परिवहन संविदा के अभिन्न अंग है और निविदाकार इनसे आबद्ध रहने के लिए बाध्य होगा।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट 2

छत्तीसगढ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"द हितवाद परिसर" अवंति विहार तेलीबांधा, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / जि.प्र.बैठक / 2013 14 / 106 रायपुर, दिनॉक 18/06/2013

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला .... (छ.ग.)

विषय :-- जिला प्रबंधकों की बैठक दिनांक 05.06.2013 (बुधवार) का कार्यवाही विवरण।

विषयान्तर्गत दिनांक 05.06.2013 को दोपहर 11.30 बजे निगम मुख्यालय में जिला प्रबंधकों की बैठक आहूत की गई थी, जिसकी कार्यवाही विवरण सलग्न कर आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ हेतु प्रेषित है।

सलग्न :-- कार्यवाही विवरण।

(एम.एन.प्रसाद राव)
महाप्रबंधक

क्रमांक / जि.प्र.बैठक / 2013--14 / 106 A रायपुर, दिनॉक 18/06/2013

प्रतिलिपि :--

01. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय--रायपुर।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि मुख्यालय--रायपुर।
03. कंपनी सचिव, छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय--रायपुर।
04 प्रबंधक (सातिप्र) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय--रायपुर।
05. लेखाधिकारी (क्लेम / कैश एंड बैंकिंग) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय--रायपुर।
06. श्री पी.के.सक्सेना (प्रबंधक) / श्री के.एल.सिन्हा (प्रबंधक) / श्री के.एस.श्रेय (प्रबंधक) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड मुख्यालय--रायपुर।
07. नोडल अधिकारी (आई.टी.) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय--रायपुर।

महाप्रबंधक

F/kamini/D.M.Mitting/18

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

दिनांक 05.06.2013 को आयोजित जिला प्रबंधकों की बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 05.06.2013 को जिला प्रबंधकों की बैठक निगम मुख्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नानुसार अधिकारी उपस्थित रहे :–

01.	माननीय श्री लीलाराम भोजवानी	अध्यक्ष
02.	श्री कौशलेन्द्र सिंह	प्रबंध संचालक
03.	श्री एम.एन.प्रसाद राव	महाप्रबंधक
04.	श्री संदीप अग्रवाल.	कंपनी सचिव
05.	श्री एस.एस.भट्ट	प्रबंधक (पीडीएस)
06.	श्री पी.के.सक्सेना	प्रबंधक
07.	श्री के.एल.सिन्हा	प्रबंधक
08	श्री के.एस.श्रेय	प्रबंधक (स्था.)
09.	श्रीमति जी पदमा	वरिष्ठ लेखाधिकारी
10.	श्री जी.के.देवांगन	लेखाधिकारी
11	श्री डी.के. चन्द्रवंशी	लेखाधिकारी (परि.)
12.	श्री सी.एम.चन्द्राकर	नोडल अधिकारी (आई.टी.)
13.	जिला प्रबंधक	समस्त जिले एवं सहायक प्रबंधक (जिला प्रबंधक राजनांदगांव, सूरजपुर, कोरबा अनुपस्थित)

बैठक के प्रारंभ में प्रबंध संचालक महोदय, ने सभी जिला प्रबंधक एवं नवनियुक्त सहायक प्रबंधक तथा सभी उपस्थित अधिकारीगण का स्वागत करते हुए बैठक में एजेंडा बिन्दुओं पर समीक्षा किया जाकर निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश जारी किये गये है:–

➢ उपार्जन / परिवहन कक्ष :–

- परिवहनकर्ताओं के कार्य न करने पर दाण्डिक कार्यवाही का प्रावधान :– जिला राजनांदगांव में परिवहनकर्ता द्वारा उचित मूल्य की दुकानों में फिडिंग ता–तारीख न करने के कारण उनके भुगतान राशि में से 25 प्रतिशत कटौत्रा करने तथा नाम ब्लेक लिस्ट में डालने हेतु नोटिस देने का निर्देश दिये गये है।
- जिला राजनांदगांव प्रदाय केन्द्र मानपुर, जिला बलरामपुर में प्रदाय केन्द्र प्रतापपुर, जिला कोरिया में मनेन्द्रगढ़ एवं जिला सुकमा में प्रदाय केन्द्र दोरनापाल में परिवहनकर्ताओं द्वारा ठीक से काम न करने की स्थिति में इन जिलों हेतु नया टेण्डर करने का निर्देश दिये गये है।
- शक्कर फैक्ट्री से प्राप्त शक्कर परिवहन के संबंध में समस्त जिला प्रबंधकों को निर्देश दिये है कि अपने फैक्ट्री स्थित जिले एल.आर.टी. दर के अनुसार ही शक्कर का परिवहन करायेगे।
- खरीफ विपणन वर्ष 2012–13 हेतु लक्ष्य 17.00 लाख टन का लक्ष्य रखा गया था जो अब बढ़कर 1957000 मे.टन किया गया है जिसमें निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप चांवल उपार्जन करने का निर्देश दिया गया है। जिसमें हर माह रायपुर को 20,000 मे.टन, बालौदाबाजार 7000 मे. टन, गरियाबंद 8000 मे.टन, धमतरी 9000 मे.टन, महासमुंद 10000 मे.टन है (जिसे 02 माह करके लेना है) दुर्ग 35,000 मे.टन, बेमेतरा 15000 मे.टन, बालोद 10,000 मे.टन, राजनांदगांव 10,000 मे.टन, कवर्धा 6400 मे. टन बिलासपुर 9000 मे.टन मई में लिया गया है मुंगेली 7000

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी.

- समस्त जिलों में शक्कर की समस्या है इस समस्या को देखते हुए तीन माह का परिवहन आदेश दिया गया है जिसमें भोरमदेव फैक्ट्री कवर्धा से रायपुर एवं बिलासपुर संभाग को सूरजपुर फैक्ट्री से सरगुजा संभाग को एवं बालोद के दंतेश्वरी फैक्ट्री से बस्तर संभाग के केन्द्रों को तुरंत शक्कर उठाने के लिए निर्देश दिये गये है।
- पीलीमटर दाल की क्वालिटी खराब (नमी) होने के कारण बिलासपुर संभाग के परिवहनकर्ता को खराब गुणवत्ता की दाल को रिफ्रेश जब तक नहीं करेंगे तब तक उनका भुगतान रोकने का निर्देश दिये गये है। तथा रायपुर संभाग के जिला गरियाबंद में पीलीमटर दाल फफूंद पाया जाना बताया है जिसके संबंध में निर्देश दिया गया है कि इस तरह की खराब गुणवत्ता की दाल प्राप्त होती है तो उसे तुरंत रिजेक्ट कर वापस करें।
- डीएफएस नमक के संबंध में आयोडीन की मात्रां 15 से 20 प्रतिशत होने का निर्देश दिया गया है।
- जिला रायपुर में समय पर आटा का वितरण नहीं होने की स्थिति में संबंधित फर्म को कारण बताओ नोटिस एवं उनके भुगतान से 02.00 करोड़ कटौत्रा करने का निर्देश दिये गये है।
- वर्ष 2009 से मार्च 2013 तक उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्रियों की लंबित राशि की वसूली के संबंध में :- रायपुर, महासमुंद, राजनांदगांव, बिलासपुर , रायगढ़, सरगुजा, जशपुर, कोरबा, जांजगीर, इन जिलों में राशि शेष होना पाया गया हैं जिसे शीघ्र वसूले और इसकी जानकारी मुख्यालय प्रेषित करे, जिससे AG पैरा तैयार किया जा सके।
- भंडारण क्लेम संबंधी चर्चा :- भंडारण 0.2 या 0.3 आ रही है तो उसकी पूर्ण जानकारी भेजिए। यदि 0.5 से ऊपर आ रही है तो उसका भंडारण क्लेम बनाकर एसडब्ल्यूसी को प्रस्तुत करने का निर्देश दिये गये है।
- एफपीएस से पंचनामा की प्राप्ति एवं ई-पंचनामा के संबंध में :- एफपीएस से पंचनामा या पांच लोगों का पंचनामा या ई-पंचनामा परिवहनकर्ता द्वारा नहीं दिया जाता है तो उनके राशि का भुगतान रोका जाए, बगैर पंचनामा के परिवहनकर्ता की राशि का भुगतान न किया जावे। पंचनामा परिवहनकर्ता द्वारा दिया जाता है तो ही उनकी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिये गये है।

➢ लेखा /वित्त

- 31.03.2013 की स्थिति में भौतिक सत्यापन पत्रक तथा आंतरिक अंकेक्षित पत्रक :- जिला दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर, नारायणपुर, बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, बेमेतरा, से आंतरिक अंकेक्षित पत्रक अप्राप्त एवं रायपुर, कांकेर, कोरबा, जशपुर, दंतेवाड़ा, सूरजपुर, में भौतिक सत्यापन एवं आंतरिक अंकेक्षित पत्रक दोनों अप्राप्त है। सभी जिला प्रबंधकों को तत्काल भौतिक सत्यापन एवं आंतरिक अंकेक्षित पत्रक जमा करने हेतु निर्देशित किये गये है। इस संबंध में जिन जिलों में सी.ए. के ठीक से काम न करने की स्थिति में दुसरा सी.ए. लगाने हेतु निर्देशित किये गये है।

.....4.....

meeting.Report.

C.G. STATE CIVIL SUPPLIES CORPORATION H.O. RAIPUR

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि वर्ष 2012--13 के सी.एम.आर. उपार्जन में किसी भी तरह की उपार्जित चांवल गुणवत्ता में कमी या गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर किसी जिले में कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो वहा के कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं गोदाम प्रभारी के साथ- साथ जिला प्रबंधक के विरूद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र के संबंध में-- जिन जिलो से उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त है,उसे तत्काल अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रेषित करने हेतु निर्देश दिया गया है।
- अन्नपूर्णा मामले में 2011--12 की राशि के संबंध में समाज कल्याण विभाग को लगातार पत्र भेजा रहा हैं .
- आन लाईन कैशबुक एवं आई.आर.आर.एस. के संबंध में निर्देश दिये गये है कि दो दिन से अधिक लंबित नहीं होनी चाहिए, यदि दो दिनों से अधिक लंबित होगी तो उनके ऊपर कार्यवाही की जावेगी।
- माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अपने उद्‌बोधन में कहा है कि जो जिला भंडारण का कार्य प्राथमिकता अनुसार पहले करेगा उसे प्रोत्साहन राशि या ईनाम देने पर विचार किया जावेगा।

बैठक के अंत में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समस्त जिला प्रबंधकों को समय की महत्ता एवं कार्यों पर ध्यान देने निर्देश देते हुए बैठक की कार्यवाही को सधन्यवाद के साथ समाप्त किया गया।

(कौशलेन्द्र सिंह)
प्रबंध संचालक

meeting.Report.

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट 3

परिशिष्ट – एक

1.10 निविदा में उल्लेखित दरें परिवहन अंतर्गत वस्तुओं के लिए शुद्ध वजन के लिए मानी जायेगी। इसमें न तो बोरे/टिन/कारटून आदि पैकिंग सामग्री का वजन जोड़ा जायेगा और न ही उसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय होगा। वापिसी यात्रा के लिए नियत दूरी या गोदाम में लदान के स्थान या गोदाम तक वापसी या वे–ब्रिज तक आने–जाने में तय की गई दूरी के लिए कोई परिवहन व्यय देय नहीं होगा।

1.11 जिस बेस डिपो/केन्द्र की परिवहन दरें स्वीकृत नहीं हुआ हो परंतु परिवहन कार्य कराया जाना हो तो जिले के निकटतम केन्द्र जिनकी परिवहन दरें स्वीकृत हैं की दर पर अनुबंधित परिवहनकर्ता से कार्य कराया जा सकता है।

1.11ए निविदा दस्तावेज में दर्शित बेस डिपो/संग्रहण केन्द्र के अंतगर्त नवीन स्थापित उपभंडारण केन्द्र में संग्रहित स्कंध के परिवहन के लिए संबद्ध निकटतम केन्द्र के परिवहनकर्ता की दरें लागू होंगी तथा परिवहन कार्य करने हेतु, परिवहनकर्ता बाध्य रहेगा।

1.12 निविदा में प्राप्त न्यूनतम दर होने का तात्पर्य यह नहीं है कि उसकी स्वीकृति प्रदान की जावे। अतः ऐसे परिवहन दरों की स्वीकृति की जावेगी, जो कार्य योग्य दर हो। ऐसे निर्णय प्रबंधन द्वारा लिया जा सकता है जिसके विरूद्व निविदाकार का कोई भी दावा मान्य योग्य नहीं होगा।

1.13 परिवहनकर्ताओं के द्वारा पूर्व में किए गए परिवहन कार्य का आंकलन कर जिला स्तरीय कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर परिवहनकर्ता नियुक्त किया जावेगा जिसकी कार्य रिपोर्ट विपरीत पाए जाने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.14 निविदा में प्रस्तुत परिवहन दरों में सर्विस टैक्स एवं शासन द्वारा अधिरोपित सभी करों की राशि सम्मिलित रहेगी। अतः निविदाकार दरें प्रस्तुत करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें। प्रस्तुत परिवहन देयक से सर्विस टेक्स एवं अधिरोपित करों की राशि का कटौत्रा कर संबंधित विभाग को भुगतान, निगम द्वारा चालान के माध्यम से किया जावेगा।

1.15 निविदाकार स्वयं उसकी पत्नी तथा अवस्यक पुत्र/पुत्री/फर्म तथा प्रतिनिधि, राईस मिलर न हो।

1.16 निविदाकार को बेस डिपो से संबंधित संभाग का निवासी होना अनिवार्य है।

2. निविदा फार्म कैसे भरें:–

2.1 निविदाकार निविदा फार्म अविकल रूप से बिना कोई पृष्ठ अलग किए विधिवत् पूर्ण रूप से भरकर प्रस्तुत करेगा और उसके प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे सील सहित हस्ताक्षर करेगा।

निविदाकार को अमानत राशि एवं वांछित दस्तावेज यथा वाहन के कागजात, इंकम टेक्स रिटर्न (नवीनतम), तथा पैन कार्ड, फर्म/कंपनी के पंजीयन प्रमाण पत्र, संभाग का निवासी प्रमाण पत्र, **राईस मिलर नहीं होने का शपथ पत्र (नोटरी से प्रमाणित)** अलग से मुहरबंद लिफाफे में रखकर (लेटरहेड या सादे कागज पर आवेदन में बेस डिपो के नाम सहित) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं लिफाफे पर स्पष्ट रूप से टेक्नीकल बीड (TECHNICAL BID) लिखकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निविदा दस्तावेज (निविदा दर) अन्य सीलबंद लिफाफे में जिस पर प्राईज बीड (PRICE BID) पृथक से लिखकर प्रस्तुत करना होगा। ऐसे निविदाकारों जिनके द्वारा टेक्नीकल बीड में क्वालीफाई नहीं किया गया है, उनकी प्राईज बीड नहीं खोली जायेगी एवं निविदा को अमान्य कर दिया जावेगा।

निविदाकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाले वांछित दस्तावेज को स्वय हस्ताक्षर करने के उपरांत नोटरी से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट (A)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
"हितवाद परिसर" अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

क्रमांक / परिवहन / 2013–14 / 194 रायपुर, दिनांक 17/5/13

प्रति,

जिला प्रबंधक,
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि0
कवर्धा / बालोद / सूरजपुर

विषयः– आपके जिल में स्थित फैक्ट्री से शक्कर परिवहन के संबंध में।

आपको विदित हैं, कि शक्कर डी कन्ट्रोल हो जाने के कारण शासन स्तर से आपके जिले में स्थित फैक्ट्री को शक्कर का आबंटन दिया जा रहा हैं, ऐसी स्थिति में आपके जिले में वर्ष 2013–14 एल.आर.टी. सामान्य की जो दरें स्वीकृत हैं, उन परिवहनकर्ताओं को सूचित कर शक्कर परिवहन के लिए तैयार रखें।

शक्कर का औसत परिवहन मात्रा आपके जिले स्थित फैक्ट्री से लगभग 2500 मे.टन प्रतिमाह होने की संभावना हैं।

महाप्रबंधक

क्रमांक / परिवहन / 2013–14 / रायपुर, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, प्रबंध संचालक छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय – रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रबंधक (सा.वि.प्र.) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय – रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. प्रबंधक (शक्कर) छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लि. मुख्यालय – रायपुर की ओर सूचनार्थ।

sd/–
महाप्रबंधक

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड

"हितवाद परिसर" अवंति विहार, मुख्यालय रायपुर

वर्ष 2013--14 हेतु स्वीकृत परिवहन दर

	kawrdha		Surajpur		Chitod (Balod) 12-13	
लीड	Rate	Transporter	Rate	Transporter	Rate	Transporter
स्थानीय	311.00	दिनेश मिश्रा			210.00	मनोज जैन
1-25	15.60	श्रवण शर्मा	17.60	ओमप्रकाश गुप्ता	13.99	विकम सिंग
1-50	13.55	दिनेश मिश्रा	9.30	ओमप्रकाश गुप्ता	9.60	विकम सिंग
1-75	9.80	विकम सिंग	5.45	अनिल कुमार गोयल	6.95	विकम सिंग
1-100	6.60	विकम सिंग/दिनेश मिश्रा	5.45	ओमप्रकाश गुप्ता	6.19	विकम सिंग
1-125	6.00	विकम सिंग	4.84	ओमप्रकाश गुप्ता	5.29	विकम सिंग
1-150	6.00	विकम सिंग	3.98	ईश्वरचंद अग्रवाल	5.07	विकम सिंग
1-175	6.00	विकम सिंग	4.15	ईश्वरचंद अग्रवाल	4.68	विकम सिंग
1-200	6.00	विकम सिंग	4.25	ईश्वरचंद अग्रवाल	4.39	विकम सिंग
1-225	6.00	विकम सिंग	4.00	ओमप्रकाश गुप्ता/ईश्वरचंद अग्रवाल	2.90	शकील अहमद
1-250	6.00	विकम सिंग	4.00	ओमप्रकाश गुप्ता/ईश्वरचंद अग्रवाल	3.94	विकम सिंग
1-275			4.00	ओमप्रकाश गुप्ता/ईश्वरचंद अग्रवाल	3.89	विकम सिंग
1-300			4.00	ओमप्रकाश गुप्ता/ईश्वरचंद अग्रवाल	3.25	शकील अहमद
1-325					3.20	विकम सिंग
1-350					3.19	विकम सिंग
1-375					3.15	विकम सिंग
1-400					3.00	विकम सिंग
1-425					2.97	विकम सिंग
1-450					2.95	विकम सिंग
1-475						
1-500						
1-525						
526 से अधिक						

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

परिशिष्ट (5)

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, जिला कार्यालय सूरजपुर(छ.ग.)

भैयाथान रोड, महगंवा चौक, सूरजपुर, जिला - सूरजपूर (छ.ग.) पिन- 497229 दूरभाष एवं फैक्स - (07775-266143)

क्रमांक / शक्कर परिवहन / 2013-14 / 306

प्रति ,

सूरजपुर, दिनांक - 06 / 06 / 2013

श्रीमान् प्रबंधक (साविप्र)

छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
मुख्यालय — रायपुर (छ.ग.)

विषय :— जिले स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता से शक्कर परिवहन हेतु सहमति के संबंध में।

संदर्भ :— मुख्यालय रायपुर का पत्र क्र./परिवहन / 13-14 / 194 दिनांक 17.05.13 ।

*****

विषयान्तर्गत लेख है कि उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम आपके द्वारा वर्ष 2013-14 में इस जिले में स्थित **मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता** से शक्कर के अन्य जिलों में परिवहन हेतु जिले में लम्बी दूरी परिवहन निविदा 2013-14 में स्वीकृत दरों पर परिवहन कार्य किये जाने हेतु सहमति चाही गयी है, किन्तु इस जिले में नियुक्त लम्बी दूरी परिवहनकर्ताओं द्वारा उपरोक्तानुसार शक्कर कारखाने से परिवहन कार्य हेतु सहमति नहीं दी गयी है (पत्र की छायाप्रति संलग्न है)।

अतएव आपकी ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार पत्र की छायाप्रति 03 नग।

जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो.लि.
जिला — सूरजपुर (छ.ग.)

Saxena
Pl. put up
11/6

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ई.ओ.डब्ल्यू. / ए.सी.

Mob.-9753266555, 9425580412
Pho.-07775-264485 (R)

ISHWAR CHAND AGRAWAL

HANDLING & TRANSPORT CONTRACTOR
MAIN ROAD, BISHRAMPUR 497226 DISTT.- SURGUJA (CHATTISGARH)

Date 22/5/13

प्रति,
श्री मान जिला प्रबंधक
छ0ग0 स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पो0 लि0 सूरजपुर

महोदय,

सविनय निवेदन है कि आपका पत्र क्रमांक /परिवहन/ 13-14/194 दिनांक 17.5.13 द्वारा वर्ष 2013-14 में माँ महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता से विभिन्न जिले में शक्कर के परिवहन हेतु निविदा वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के स्वीकृत दर पर कार्य करने हेतु सहमति चाही गई है। इस कार्य के लिए मैं सहमत नहीं हूँ। मैंने जो भी निविदा ली है विश्रामपुर बेस डिपो मानकर ली है।

भवदीय

[signature]

ईश्वर चन्द्र अग्रवाल

सत्यापित प्रति
[signature]
(एस.डी.देवरथले)
निरीक्षक ... / ए.सी. ...

mo. 94252-54265
94252-54122

ANIL KUMAR GOYAL

TRANSPORTER & CONTRACTOR
MAHAMAYA ROAD, BEHIEND ABINAU TALKIES
RASOOLPUR, AMBIKAPUR 497001 : SURGUJA (C.G.)

सूरजपुर, दिनांक – 30.05.2013

प्रति,

श्रीमान् जिला प्रबंधक,
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड,
जिला कार्यालय – सूरजपुर (छ.ग.)

विषय :– मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने केरता से शक्कर परिवहन हेतु सहमति के संबंध में।

संदर्भ :– आपका पत्र क्र. / 194 / परिवहन / 2013–14 सूरजपुर दिनांक 22.05.2013।

––00––

महोदय,

सादर निवेदन है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्तमान में बेसडिपो एस.डब्ल्यू.सी. बिश्रामपुर से लम्बी दूरी परिवहन कार्य सामान्य हेतु लीडवार स्वीकृत दर पर जिले में स्थित मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता से शक्कर के लम्बी दूरी परिवहन हेतु सहमति चाही गयी है।

उक्त संबंध में लेख है कि उपरोक्तानुसार स्वीकृत दर पर मैं मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, केरता से शक्कर परिवहन कार्य हेतु सहमत नहीं हूँ।

सूचनार्थ।

भवदीय

(अनिल कुमार गोयल)
परिवहनकर्ता
अम्बिकापुर

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

4

RAMESH KUMAR GUPTA

..R.T. Contracter, Bishrampur Dist - Surajpur (CG.)

दिनांक 06/06/2013

श्रीमान् जिला प्रबंधक
छ.ग. स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन लिमिटेड
जिला - सूरजपुर

विषय → शक्कर कारखाने केरता से शक्कर परिवहन हेतु सहमति बाबत्

संदर्भ → आप पत्र दिनांक 22/05/13

निवेदन → सादर निवेदन है कि आपके द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से वर्तमान में वर्तमान में बेसडिपो एस. डब्लू. सी बिश्रामपुर से लम्बी दूरी परिवहन कार्य सामान्य हेतु स्वीकृत हेतु दर पर शक्कर कारखाना केरता से शक्कर परिवह हेतु सहमती मागा गया है अतः मैं उक्त दर परिवहन कार करने पर सहमत नही हुं

प्रतिनिधि
राकेश कुमार गौर

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)